रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2421] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2015/कार्तिक 19, 1937
No. 2421] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2015/KARTIKA 19, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2015

का.आ. 3029(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना के मेडक जिले में 17.09'.45" से 17.12'.15" उत्तरी अक्षांश के बीच और 78.02'.15" से 78.04'.48"पूर्व देशांतर के बीच अवस्थित है और यह मंजीरा तथा सिंगूर परियोजना बांधों के बीच एक जलाशय है;

और यह, अभयारण्य मगरमच्छ का निवास है और यहां संवर्धित मत्सयों की पांच प्रजातियां की 10 प्रजातियां, सरिसृपों की 26 प्रजातियां, स्तनधारियों की 18 प्रजातियां और पक्षियों की 170 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है ;

और, यह जलीय पक्षी प्राणी समूह के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है और अनेक निवासी एवं प्रवासी पक्षियों जैसे ओरिएंटल डार्टर, ब्लेक इलिस, वाहिट इलिस, ग्लासी इलिस, ब्लेक विन्जंड स्टिल्ट, कॉम्ब टक्स, ओपन

बिल्ड स्ट्रोक, स्पून बिल्स, कॉटन टीलस, विहस्लिंग टीलस, रेड क्रेस्टिड पोकार्डस, कामन पोकार्डस, ब्रहामनी डक्स, ग्रे पेल्क्विन्स, बाउन हेडिड गलस, बार हेडिड गीज, मार्श हैरियर, डिमोसेल्ले क्रेन्स और स्वेलोस यहां रहते हैं;

और, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य में जलाशय हैं यहाँ पर 9 द्वीप स्थित हैं, और जो टाइप एसपी आईपोमिया एसपी. निम्फॉटाइस हाइड्रोफाइला, पोलीगोनम ग्लेबरम, ल्यूकस अस्पेरा, सेन्टेल्ला एशियाटिका, हाइड्रिला वर्टिसिलाटा, विल्सनिरा स्पाइरिलीस और मारसिलिया कवाडरीफोलिया जैसी जलमग्न और उदगामी वनस्पतियां विद्यमान है और वन क्षेत्र में विशिष्ट उष्ण कटिबन्धीय झाड़ किस्म के वन हैं ;

और जब, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षा और उसमें वन्य जीवन और उनके पर्यावरण के सुधार और विकास के प्रचार के लिए आवश्यक है।

और, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन तेलंगाना के मेडक जिले में 65.28 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें मेडक जिले के 12 गांव और 2 मंडल, सदाशिपेट और पुलकल सम्मिलित है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन **उपाबंध I** और ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(3) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध III** रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 10, 16, 22, 28 और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर जैसे तंबू और लकड़ी के गृह आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा तथा मजबूत करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं भी हैं।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना दी जाएगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में नवगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की बफर आंचलिक प्रबंधन योजना के अनुसार पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना, आंचलिक महायोजना का भाग होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, तेलगांना सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, तेलगांना सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक हितैशी पर्यटन क्रियाकलापों से सम्बंधित पर्यटकों के रहने के लिए अस्थायी निवास हेतु आवास के अलावा अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर होटलों और रिसर्टों के नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी के आगे पारिस्थितिक संवेदी जोन तक नए होटलों और रिसार्टों को स्थापित करने के लिए अनुज्ञा पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों में केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए दी जाएगी।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इर्काइयां**.- (क) प्रस्तावित प्रारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई लकडी आधारित नए उद्योगों की स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय इसके कि लकडी आधारित उद्योगों को विधि के अनुसार स्थापित किया जाता है।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण फैलाने नए उद्योग को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालित होगी।
2.	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना और उनका विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	नए लकडी आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए लकडी आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु विद्यमान नए लकडी आधारित उद्योग विधि के अनुसार जारी रख सकते हैं ;
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक मित्र पर्यटन क्रियाकलापों से संबद्ध पर्यटकों के अस्थाई निवास के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटल या रिसोर्ट को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) अभयारण्य की सीमा से तीन सौ मीटर की दूरी तक 125 क्यूबिक फुट की विमा वाले टयूब बेल कक्ष के सिवाय किसी प्रकार के संनिर्माण की अनुमति नहीं जाएगी। (ख) अभयारण्य की सीमा से तीन सौ मीटर से एक हजार मीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दो से अधिक मंजिल (पचीस फिट) वाले किसी भवन का निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी।

		(ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्य योजना निर्देशों का पालन किया जाएगा।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(क) अभयारण्य की सीमा से एक हजार मीटर की दूरी तक नई हाई टेंशन परिषण तारों को (33 किलोवाट और इससे अधिक वोल्टेज के स्तर) बिछाना अनुज्ञात नहीं होगा। (ख) भूमिगत केबल लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
23.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (गै.का.व.उ.) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध।
26.	कृषि प्रणालियों में आमूल-चूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप :		
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागबानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

28.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
29.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि को बढावा देना होगा।

5. मानीटरी समिति.- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिलाधीश मेडक - अध्यक्ष ;

(ख) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य ;

(ग) तेलंगाना सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(घ) प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेडक - सदस्य;

(ङ) क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार – सदस्य ;

(च) प्रभागीय वन अधिकारी, मेडक– सदस्य ;

(छ) क्षेत्र का राजस्व प्रभागीय अधिकारी– सदस्य ;

(छ) जिला वन्य जीव वार्डन – सदस्य-सचिव।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/50/2014-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन

ए – बी : मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा बिन्दु ए से शुरु होती है और स्टेशन 1 के उत्तरी –पश्चिमी किनारे पर अक्षांश देशान्तर 17.74943 और 77.94329 के साथ सिंगूर बांध के निकट और होनापुर के पी डब्लु डी रोड के क्रासिग बिंदु से मालाफर और दक्षिण –पूर्व दिशा की ओर जाते हुए स्टेशन संख्या 2,3,4, और 5 को जोडते हुए ग्राम सिंगुर ओपोचारम के मध्य से गुजरने के बाद यह स्टेशन न05 से मुडते हुए स्टेशन न0 11 को और पुलकत और मीनपुर के ग्रामो सें होते हुए आगे जाती है तथा इसके पश्चात ग्राम मीनपुर से होते हुए तथा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुडती है और ग्राम कोदुर इसोजिपेट, गंगूलूर, गंगोजिपीट और चक्ररियार की सीमा की ओर जाते हुए स्टेशन न0 19 तक जाती है जो कि बिन्दु बी पर है।

बी – सी: बिन्दु बी और स्टेशन 19 से जोन दक्षिण दिशा की ओर बढती है और ग्राम चक्ररियार के मध्य से गुजरते हुए स्टेशन 20 से दक्षिण की ओर जाते हुए और स्टेशन 21 पर मंजीरा नदी को को काटती है तथा इसके पश्चात् यह पश्चिमी दिशा की ओर मुडती है और ग्राम कलबगुर के मध्य से जाते हुए बिंदु सी और स्टेशन 22 पर पहुँचती हैं।

सी – डी: बिंदु सी और कलबगुर ग्राम के स्टेशन 22 से यह रेखा उत्तर- पश्चिमी दिशा की ओर स्टेशन 23 से 29 को निजामपुर और कोलपुर ग्राम के मध्य से ग्राम कोलकुर के निकट बिन्दु डी तक।

डी – ए : बिन्दु डी और ग्राम कोलकुर के निकट स्टेशन 29 से पश्चिमा दिशा की ओर जाते हुए स्टेशन 29 से स्टेशन 30,31 को जोड़ते हुए, ग्राम कोटीपल्ई के मध्य से जाती है और स्टेशन 32 और 33 के मध्य ग्राम गंगाकटवा को काटते हुए उत्तरी- पश्चिमी दिशा को मुडती है इसके बाद स्टेशन 34, 35 और 36 तक मालाफद के ग्राम से गुजरते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है तथा मालाफद से हुन्नापुर के पी डब्लू डी रोड को काटते हुए सिंगुर बांध को पार करती है और फिर मंजीरा नदी को पार करती है तथा बिन्दु ए पर मिलती है अर्थात सिंगुर ग्राम के निकट शुरुआती स्टेशन 1।

उपाबंध-II

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य (राजस्व गांव) के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	मंडल	जिला	अक्षांश	देशांतर
1	मालापहाड	सदासिवापीट	मेदक	17.73165	77.92921
2	येतीगड़ासंगम	सदासिवापीट	मेदक	17.71524	77.93390
3	पोत्तीपल्ली	सदासिवापीट	मेदक	17.69941	77.96342

4	कोलकुर	सदासिवापीट	मेदक	17.69072	77.98642
5	निजामपुर	सदासिवापीट	मेदक	17.67902	78.00297
6	कालाबगुर	संगारेड्डी	मेदक	17.64349	78.06670
7	छेकिरयाल	पुलकाल	मेदक	17.67619	78.09249
8	गंगोजीपेत	पुलकाल	मेदक	17.68490	78.06941
9	गोंगुलुर	पुलकाल	मेदक	17.68908	78.05569
10	एसोजीपीट	पुलकाल	मेदक	17.70089	78.03362
11	कोदुर	पुलकाल	मेदक	17.70765	78.02194
12	पोछावाराम	पुलकाल	मेदक	17.72817	77.95133

<u>उपाबंध-III</u>

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

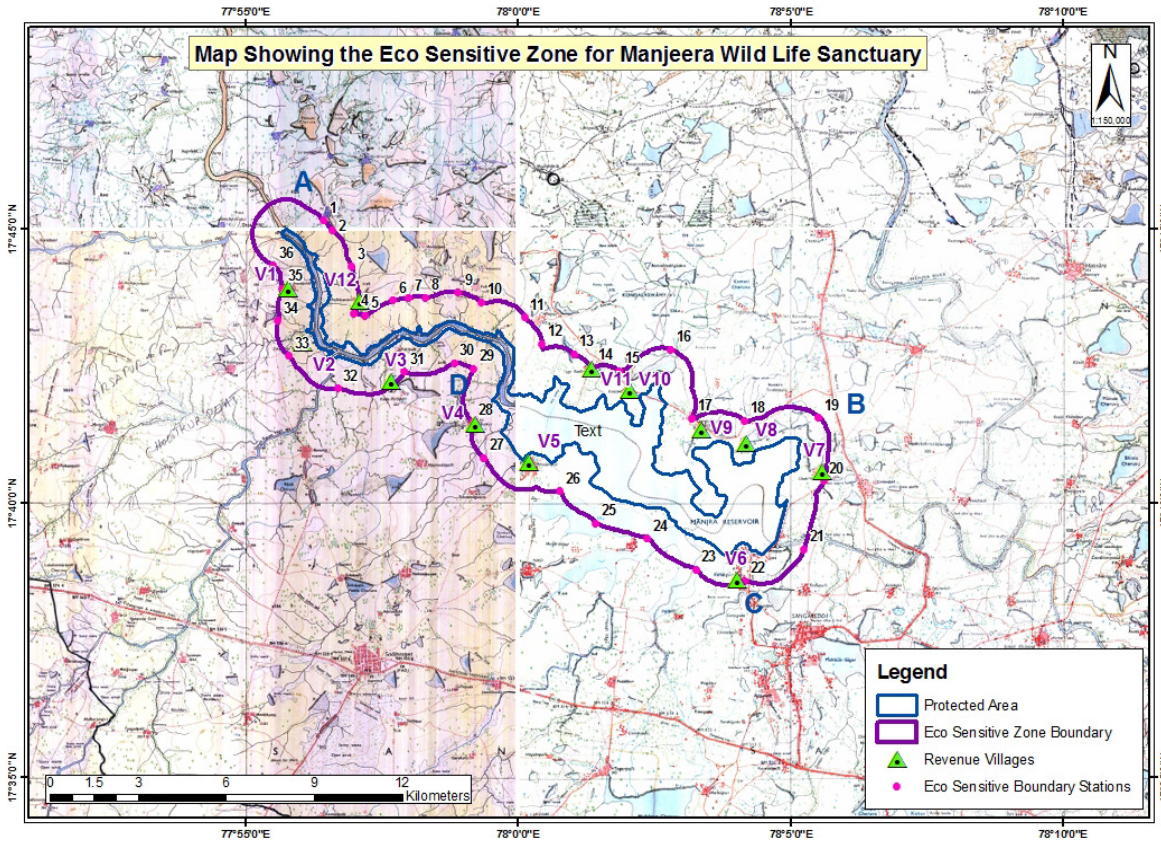

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	17.74943	77.94329
2	17.73852	77.94899
3	17.72439	77.94999
4	17.72366	77.95328
5	17.72821	77.96172
6	17.72902	77.96643
7	17.72920	77.97164
8	17.73063	77.98182
9	17.72783	77.98893
10	17.72319	78.00207
11	17.71511	78.00734
12	17.71198	78.01714
13	17.70798	78.02277
14	17.70694	78.03107
15	17.71340	78.04663
16	17.69250	78.05330
17	17.69187	78.06938
18	17.69274	78.09199
19	17.67352	78.09342
20	17.65275	78.08732
21	17.64316	78.06917
22	17.64660	78.05441
23	17.65605	78.03966
24	17.66072	78.02388
25	17.67042	78.01297
26	17.68053	77.98965
27	17.69126	77.98605
28	17.70758	77.98643
29	17.70933	77.98047
30	17.70663	77.96521
31	17.70161	77.94486
32	17.71144	77.93002
33	17.72219	77.92656
34	17.73179	77.92781
35	17.73884	77.92529

<u>उपाबंध-IV</u>

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2015

S.O. 3029(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public.

2. Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate

Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Manjeera Wildlife Sanctuary (hereinafter referred to as the Sanctuary) is situated in the Medak District in Telangana between 17.09'.45" to 17.12'.15" North latitude and between 78.02'.15" to 78.04'.48" East longitude and it is water body between two dams Manjeera and Singoor projects;

And whereas, the Sanctuary is abode for the mugger crocodile and home to five species of cultured fishes, 10 species of amphibians, 26 species of reptiles, 18 species of Mammals and over 170 species of bird species;

And whereas, the Sanctuary is an important habitat for aquatic avifauna and a number of resident and migratory birds such as Oriental Darter, Black Ibis, White Ibis, Glossy Ibis, Black winged Stilt, Painted Storks, Open billed Storks, Spoon bills, Comb ducks, Cotton teals, Whistling teals, Red crested Pochards, Common Pochards, Brahminy Ducks, Grey Pelicans, Brown Headed Gulls, Bar headed Geese, Osprey, Marsh harrier, Demoiselle Cranes and Swallows stay here;

And whereas, the Manjeera Wildlife Sanctuary has reservoir which is dotted with nine islands and support submergent and emergent vegetation such as *Typa sp. Ipomea sp. Nymphoides hydrophylla, Polygonum glabrum, Leucas aspera, Centella asiatica, Hydrilla verticillata, Vallisneria spiralis* and *Marsilea quadrifolia and* the forest tracts have typical tropical scrub forest type;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries around the Manjeera Wildlife Sanctuary and to propagate improvement and development of the wildlife therein and its environment.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Manjeera Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub–section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of upto one kilometer from the boundary of the protected area of Manjeera Wildlife Sanctuary in the State of Telangana, as the Manjeera Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 65.28 square kilometer in Medak District of Telangana with an extent upto one kilometre from the boundary of the Manjeera Wildlife Sanctuary and includes 12 villages of 2 Mandals viz. Sadasivapet and Pulkal in Medak District.

(2) The of Eco-sensitive Zone extends up to one kilometer from the boundary of Manjeera Wildlife Sanctuary.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II.**

(4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended to this notification as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with the local people and in such manner as specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(3) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Master Plan shall not impose any restriction on the existing land use or infrastructure and activities, unless such use of land or infrastructure or activities are prohibited under any law for the time being in force or unless prohibited under this notification:

Provided that the Zonal Master Plan shall promote efficiency and eco-friendly improvement of all infrastructure and activities.

(5) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(7) The Zonal Master Plan shall ensure eco-friendly development for securing livelihood of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee constructed under paragraph 5 and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of

the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Telangana in consultation with Department of Forests, Government of Telangana.

(c) The activity relating to tourism shall be as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and and burning or incineration of solid wastes shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations in force made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) Establishment of new wood based Industries shall not be permitted within the Eco-sensitive zone:

Provided that the existing wood based Industries may continues unless prohibited under any law for the time being in force.

(b) Establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution shall not be permitted within the eco-sensitive zone.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zoe.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue unless prohibited under any law for the time being in force.

Regulated Activities :		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.
11	Construction activities	(a) No construction of any kind shall be permitted from the boundary of the Sanctuary to a distance of three hundred meters, except tube well chamber of dimension not more than 125 cubic feet. (b) The construction of any building more than two storey (twenty five feet) shall not be permitted in the area falling between three hundred meters to one thousand meters from the boundary of the Sanctuary.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) Working Plan prescriptions shall be followed in case of reserve forests and protected forests.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(a) The laying of new high tension transmission wires (33 KV and above voltage levels) shall not be permitted from the boundary of the Sanctuary to a distance of one thousand metres. (b) underground cabling may be promoted.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	For commercial purpose shall be regulated.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes shall be in accordance with the applicable.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable laws.
26	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.

Promoted Activities :		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee:- (1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Monitoring Committee, which shall comprise of the following namely:-

(a) District Collector, Medak –Chairman

(b) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case–Member

(c) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case –Member

(d) Regional Officer, State Pollution Control Board, Medak–Member.

(e) Senior Town Planner of the area–Member.

(f) Divisional Forest Officer (T), Medak–Member.

(g) Revenue Divisional Officer of the area–Member.

(h) District Wildlife Warden, Medak–Member Secretary.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/50/2014-ESZ-RE]

DR. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-Sensitive Zone:

A – B: The boundary ESZ of Manjeera Wildlife Sanctuary starts at point 'A' and station 1 with lat. long. 17.74943 and 77.94329 north-west corner of near Singoor dam and also crossing point of PWD Road of Honapur to Malapahad and runs towards South - East direction connecting station no.2,3,4 & 5 passing through the villages Singoor and Pocharam then it turns from station no.5 to station no.11 and passing through the villages of Pulkal and Minpur and further it passing through village Minpur and turn towards South – East and runs towards the village boundary of Kodur, Esojipet, Gongulur, Gangojipet and Chekriyal upto station no.19 which is at point 'B'.

B – C: From point 'B' and station 19 the zone runs towards southern direction and passing through the village Chekriyal through station 20 and runs towards south and crossing the river Manjeera at station 21 and then it turns towards west direction and passing through the village Kalabgur which is point at 'C' and station 22.

C – D: From point 'C' and station 22 of Kalabgur village the line runs towards north – west direction from station 23 to 29 passing through the villages of Nizampur and Kolkur which is point 'D' near village Kolkur.

D – A: From point 'D' and station 29 near Kolkur village it runs towards western direction station 29 connecting the stations 30, 31 and passing through the village Pottipally and runs western direction upto station 32 and then it turns towards north-west direction by crossing Gangakatwa Vagu in between station 32 and 33 and crossing the village Yetigaddasangam then it connect the stations 33 then it turns towards north direction upto station 34, 35 and 36 by passing the village of Malapahad and crossing the PWD Road of Malapahad to Honnapur from there it corsses the Singoor dam towards North –West direction and again it crosses the Manjeera river and meets the final point of 'A' i.e., starting station 1 of near Singoor village.

Annexure II

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

List of Villages(Revenue villages) falling within the Eco-Sensitive Zone of Manjeera Wildlife Sanctuary

S_NO	VILLAGE_NAME	MANDAL_	DISTRICT	LAT	LONG
1	Malapahad	Sadasivapet	Medak	17.73165	77.92921
2	Yetigadasangam	Sadasivapet	Medak	17.71524	77.93390
3	Pottipally	Sadasivapet	Medak	17.69941	77.96342
4	Kolkur	Sadasivapet	Medak	17.69072	77.98642
5	Nizampur	Sadasivapet	Medak	17.67902	78.00297
6	Kalabgur	Sangareddy	Medak	17.64349	78.06670
7	Chekriyal	Pulkal	Medak	17.67619	78.09249
8	Gangojipet	Pulkal	Medak	17.68490	78.06941
9	Gongulur	Pulkal	Medak	17.68908	78.05569

10	Esojipet	Pulkal	Medak	17.70089	78.03362
11	Kodur	Pulkal	Medak	17.70765	78.02194
12	Pochavaram	Pulkal	Medak	17.72817	77.95133

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes

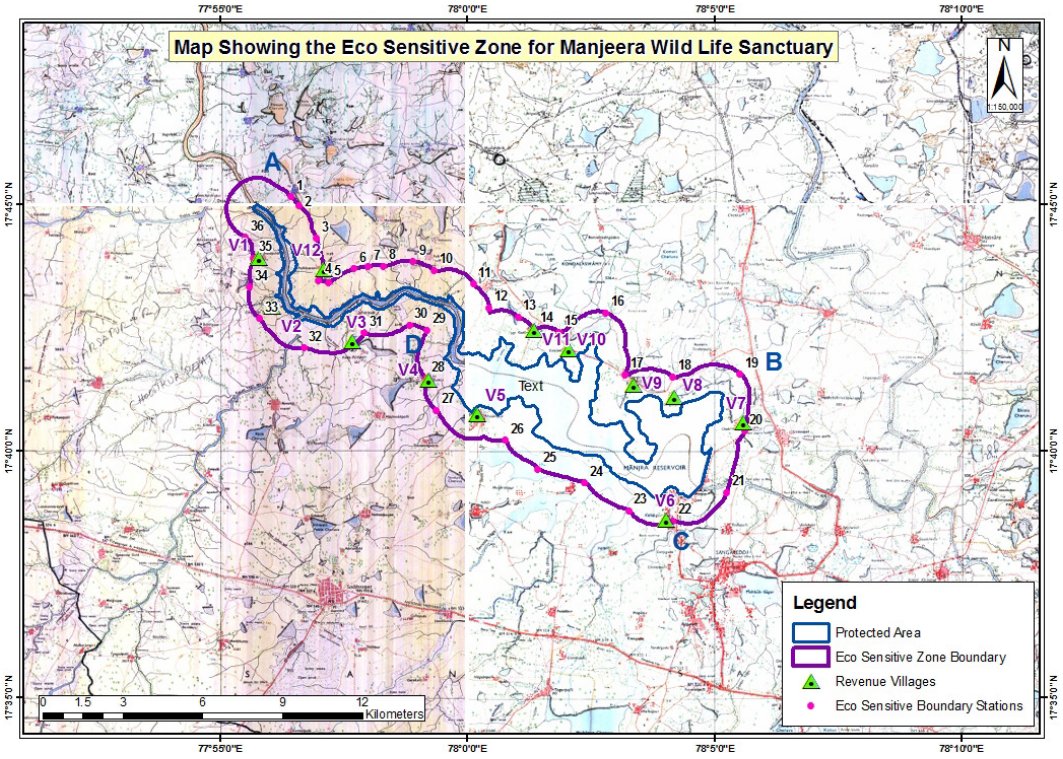

Sl. No.	Latitude	Longitude
1	17.74943	77.94329
2	17.73852	77.94899
3	17.72439	77.94999
4	17.72366	77.95328
5	17.72821	77.96172
6	17.72902	77.96643
7	17.72920	77.97164
8	17.73063	77.98182
9	17.72783	77.98893
10	17.72319	78.00207
11	17.71511	78.00734
12	17.71198	78.01714
13	17.70798	78.02277
14	17.70694	78.03107
15	17.71340	78.04663
16	17.69250	78.05330
17	17.69187	78.06938
18	17.69274	78.09199
19	17.67352	78.09342
20	17.65275	78.08732
21	17.64316	78.06917
22	17.64660	78.05441
23	17.65605	78.03966
24	17.66072	78.02388
25	17.67042	78.01297
26	17.68053	77.98965
27	17.69126	77.98605
28	17.70758	77.98643
29	17.70933	77.98047
30	17.70663	77.96521
31	17.70161	77.94486
32	17.71144	77.93002
33	17.72219	77.92656
34	17.73179	77.92781
35	17.73884	77.92529

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. ummary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.